

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक: /व्यवस्थापन/अवशेष मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/दिनांक: जुलाई 11, 2018

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या: 250/XXIII/2018/04(01)/देहरादून दिनांक: 19 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या: 392/ xxiii / 2018/04(01)/2018 दिनांक: अप्रैल 13, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा की दुकान मौना (कुल राजस्व रू० 9851922/-) का दिनांक 20.07.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिये व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष के निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 19.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल कार्यालय में अभिलेख जमा करने की अन्तिम तिथि/समय सीमा दिनांक 19.07.2018 के पूर्वाह्न 10:30 बजे तक है तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय 19.07.2018 को क्रमशः पूर्वाह्न 10:45 बजे तथा 11:15 बजे है। स्थाई व्यवस्थापन होने तक उक्त दुकान को दैनिक आधार पर संचालन हेतु दिनांक 12.07.2018 की दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्ताव/ऑफर भी आमंत्रित किये जाते हैं। दुकानों के आवंटन/निविदा करने/निरस्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी का होगा। मदिरा दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण [www.uttrahandexcise.org.in](http://www.uttrahandexcise.org.in) तथा आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल (दूरभाष नं० 9012050601) तथा मुख्यालय के अपर आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग (नोडल अधिकारी) (दूरभाष नं० 7579098405) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी  
नैनीताल।

पत्रांक: 1302 /जि०आ०अधि०/व्यवस्थापन /2018-19/नैनीताल/तद्दिनांक  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. अपर जिलाधिकारी, (प्र०), नैनीताल।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई०टी० मुख्यालय, देहरादून व उप आबकारी आयुक्त, आई०टी० मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाईट [www.uttrahandexcise.org](http://www.uttrahandexcise.org) पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल परिक्षेत्र।
7. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाईट [www.uk.gov.in](http://www.uk.gov.in) पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. सम्पादक टाईम्स ऑफ इण्डिया को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चण्डीगढ़, पटना, रायपुर, भोपाल के समस्त संस्करणों में तथा सम्पादक अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि, अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के राष्ट्र के समस्त संस्करणों में 6×8 sq. cm. में शासकीय दरों पर दिनांक 12.07.2018 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी  
नैनीताल।

## कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक: /व्यवस्थापन/अवशेष मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/दिनांक: जुलाई | | 2018

### विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 250/XXIII/2018/04(01)/देहरादून दिनांक 19 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या: 392/xxiii/2018/04(01)/2018 दिनांक: अप्रैल 13, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति एवं शासन के पत्र संख्या: 383/xxiii/2018/04(01)2018/TC/देहरादून: दिनांक अप्रैल 06, 2018 के अनुसार सी०एल०-5सी० (देशी मदिरा दुकानों) व एफ०एल०-5डी० (विदेशी मदिरा दुकानों) का दिनांक 01.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु व्यवस्थापन किया गया था। परन्तु विदेशी मदिरा की दुकान मौना के अनुज्ञापी द्वारा दुकान संचालन में असमर्थता व्यक्त करने के पश्चात् उक्त मदिरा दुकान का दिनांक 20.07.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु पुनः व्यवस्थापन किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

दिनांक 20.07.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक हेतु निर्धारित राजस्व					
क्र०सं०	दुकान का प्रकार	मदिरा दुकान का नाम	कुल राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	अधिभार की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	विदेशी	मौना	9851922	99000	9752922

उक्त अव्यवस्थापित मदिरा दुकान के व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष के निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है-

क्र०सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
1	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांक: 13.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे
2	निविदा अभिलेख ई-पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांक: 13.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 19.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
3	ऑन लाईन ऑफर <a href="http://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक: 13.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 19.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
4	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक: 13.07.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 19.07.2018 के पूर्वाह्न 10:30 बजे तक
5	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक: 19.07.2018 के पूर्वाह्न 10:45 बजे जिलाधिकारी/कलैक्टर, नैनीताल में
6	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 19.07.2018 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
7	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक: 19.07.2018 के पूर्वाह्न 11:15 बजे
8	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अथवा रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 19.07.2018 के पूर्वाह्न 11:30 बजे से
9	निविदा खोलने का स्थान	जिलाधिकारी/कलैक्टर, नैनीताल कार्यालय
10	निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी	जिलाधिकारी/कलैक्टर, नैनीताल कार्यालय

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वैबसाईट [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त बैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करनी होगी तथा [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की बैबसाईट [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के अपर आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग (नोडल अधिकारी) (दूरभाष नं० 7579098405) तथा जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल (दूरभाष नं० 9012050601) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त विदेशी मदिरा की दुकान मौना का पूर्ण व्यवस्थापन होने तक अधिकतम प्राप्त राजस्व पर दैनिक आधार पर संचालन हेतु दिनांक 12.07.2018 की दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्ताव/ऑफर भी आमंत्रित किये जाते हैं। दुकानों के आवंटन/निविदा करने/निरस्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी का होगा।

(पवन कुमार सिंह)  
जिला आबकारी अधिकारी  
नैनीताल।

पत्रांक: 1314 / जि0आ0अधि0 / व्यवस्थापन / 2018-19 / नैनीताल / तददिनोंक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. अपर जिलाधिकारी, (प्र०), नैनीताल।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून व उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाईट [www.uttrakhandexcise.org](http://www.uttrakhandexcise.org) पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल परिक्षेत्र।
7. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाईट [www.uk.gov.in](http://www.uk.gov.in) पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. कलेक्ट्रेट, विकास भवन, का0 जि0आब0अधि0, समस्त नगर पालिका व नगर निगम, समस्त तहसीलें, उप तहसीलें, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के सूचना पट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

(पवन कुमार सिंह)  
जिला आबकारी अधिकारी  
नैनीताल